

Rohitas Mahila College, SASARAM

Study Material For B.A. Part III
(SANSKRIT)

Dr. Savitri Singh,
Associate Professor,
Dept. of Sanskrit,
R.M.C. SASARAM

काव्यदीपिका द्वितीयखण्ड

Date: 25.04.20


Report VII

Topic: शब्दशास्त्र : लक्षणा

स्नातक भाग तीन में प्रकाशित पाठ्यपुस्तक काव्यदीपिका (श्रीमान्निबन्धुमहारायसंकलिता) में लक्षणा के स्वल्प का वर्णन और उल्लेख करते हुए आचार्य विरवनाथ को मुख्याध्यायों में तदनुक्तों... शक्तिरूपिता का उल्लेख किया गया है। इस क्रम में पूर्व में होने लक्षणा के दो भेदों का लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा को समझने की कोशिश की। जिस क्रम में 'कलिंगः सहस्रिड् वाक्य' में किस प्रकार का लक्षणा द्वारा अर्थ की प्रतीति हो रही है इसे समझा।

अनन्तर प्रयोजनवती लक्षणा को समझते हैं 'गंगायां घोषः' - गंगा के तट पर वनी हुई कोपड़ी को देखकर किसी ने कहा है कि : यह मैं कोपड़ी तो गंगा में वनी होवातव में गंगा तो स्थान विशेष अथवा स्थल मार्ग विशेष में प्रवृत्त होने वाली जलधारा है, जल प्रवाह है। इसमें कोपड़ी अथवा कुटिया कैसे हो सकती है।

अतः 'गंगायां घोषः' में गंगा शब्द अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर इससे सम्बद्ध गंगातरङ्गी अर्थ का लक्षणा शक्ति से बोध कराता है। इस वाक्य में वक्ता का प्रयोजन



यह प्रगट करना है कि जहाँ कुरिया बनी है वह लान ठोस और पवित्र है, मानो गंगा का प्रवाह ही है। इस प्रकार ढण्डोपन और पवित्रता के आधिक्य को व्यक्त करने के लिए ही उसने गंगा में मीपकी है। इस वाक्य का प्रयोग किया। किसी प्रयोजन से जिस लक्षणा का प्रयोग किया जाय उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं।

इस प्रकार लक्षणा यदि औ प्रयोजन के भेद से दो प्रकार की हुई। इन दोनों लक्षणाओं में ही दो दो भेद कहे जाते हैं। उपादान लक्षणा और लक्षणलक्षणा। इस प्रकार लक्षणलक्षणा, प्रयोजनवती, उपादान लक्षणा और लक्षणलक्षणा केरु से लक्षणा चार प्रकार की होती है।

उपादान लक्षणा :

स्वसिद्धये पराक्षेपेऽसावुपादानलक्षणा ।

अपने अर्थ को बोध कराने के लिए जहाँ पर दूसरे पद का आक्षेप किया जाता है, उसे उपादानलक्षणा कहते हैं। इस प्रकार वाच्यार्थ के अन्वयबोध के लिए जहाँ लक्षणार्थ बोध में वाच्यार्थ से सम्बद्ध लक्षणार्थ का बोध होता है, वह उपादानलक्षणा कही जाती है। जैसे 'यच्छत्रः प्रविशति' (लाठियाँ प्रवेश कर रही हैं) यह अचेतन होने के कारण 'यच्छि' का स्वतः प्रवेश करना सम्भव नहीं है। अतः 'यच्छि' पद से 'यच्छि-कारी' पुरुष का आक्षेप किया जाता है, लाठी वालों के प्रवेश के साथ ही लाठियों का प्रवेश उचित है। अतः इसे उपादानलक्षणा कहते हैं। इस लक्षणा में पद अपने अर्थ को न छोड़कर अन्वयबोध के लिए पदांतर का आक्षेप करके उनके साथ अन्वित हो अर्थबोध कराते हैं, इसलिए इसे अजहद स्वार्थगी कहते हैं।